न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–017/2025

शान्ति पत्नी कृष्णकुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
— वादीया

वनाम

तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. वावत घोषणा सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. **श्री विनोद पूनियांअधिवक्ता वादी**
2. **राजपैरोकार प्रतिवादी**

निर्णय

दिनांक :–22/7/2025

वादीया शांति ने प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा वावत घोषणा के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि वादिया की रोही मोजा चक 1 बारानी तहसील भादरा खाता संख्या 135/115 के मुरबा नम्बर 79 के किला नम्बर 5, 6, 15, मुरबानम्बर 80 के किला नम्बर 1, 9 ता 12, 19/1 की कुल 2.467 हैक्टेयर नहरी खातेदारी भूमि है। इसी प्रकार चक 1 बारानी तहसील भादरा के खाता संख्या 123/109 के मुरबानम्बर 59 के किला नम्बर 25, मुरबानम्बर 77 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, मुरबानम्बर 78 के किला नम्बर 5, 6, 15, कुल 2.530 हैक्टेयर बारानी खातेदारी व रोही मोजा चक 1 बारानी तहसील भादरा के खाता संख्या 125/110 के मुरबानम्बर 80 के किला नम्बर 19/2,22 की 0.316 हैक्टेयर नहंरी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। प्रमाणित प्रतियां जमाबन्दी हाल सलंग्न दावा है। यही विनाय दावा है ।

वादिया की पहले काशीराम जाट निवासी बरवाली के साथ शादी की हुई थी। वादिया के पति काशीराम के देहान्त होने पर वादिया ने काशीराम के भाई कृष्णकुमार के साथ पुनः विवाह कर लिया। वादिया के पूर्व पति की खातेदारी चक 1 बारानी खाता संख्या 135/115 की 2.467 हैक्टेयर भूमि वादिया को पुनः विवाह करने से पहले ही विरासतन मे हासिल हो गई थी जिसमे वादिया का नाम शान्ति की बजाय सन्तो दर्ज हो गया एंव वादिया के पति का नाम काशीराम दर्ज हो गया था । इसी प्रकार चक 1 बारानी के खाता संख्या 125/110 मे वादिया की जो 0.316 हैक्टेयर नहरी खातेदारी है उसमे भी वादिया का नाम शान्ति पत्नी कृष्णकुमार की बजाय वादिया का नाम शान्तिदेवी पत्नी कृष्णचन्द्र क्लेरिक्ल मिस्टेक से दर्ज हो गया। इसके अलावा चक 1 बारानी के अन्य खाता संख्या 123/109 की 2.530 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे वादिया का जो 4/5 हिस्सा खातेदारी है उसमे वादिया का सही नाम शान्ति पत्नी कृष्णकुमार दर्ज चला आ रहा है।

वादिया का सही नाम शान्ति है परन्तु वादिया के पूर्व पति के देहान्त होने पर परिवारजनों ने विरासतन नामान्तरण करवाया तो वादिया [illegible] चक 1 बारानी के खाता संख्या 135/115 मे शान्ति की बजाय सन्तो दर्ज हो [illegible]सी प्रकार इसी प्रकार चक 1 बारानी के खाता संख्या 125/110 मे [illegible] नहरी खातेदारी मे वादिया का नाम शान्ति पत्नी कृष्णकुमार [illegible] कृष्णचन्द्र दर्ज हो गया।

5 यह कि वादिया का सही नाम शान्ति है [illegible] 135 मे वादिया [illegible] शान्ति की बजाय सन्तो व खाता संख्या 125 मे शान्ति की बज[illegible] शान्तिदेवी दर्ज च[illegible] रहा है तथा खाता संख्या 135 मे वादिया की वल्दियत मे वादिया के पूर्व पति का नाम काशीराम दर्ज चला आ रहा है। इसके अलावा वादिया की अन्य खातेदारी व अन्य सभी प्रकार के दस्तावेज, वोटर लिस्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि मे वादिया का सही नाम शान्ति पत्नी कृष्णकुमार दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार वादभूमि मे वादिया के नाम भिन्न भिन्न होने के चलते

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:25:46 IST
Reason: SelfAttested

था अपनी खातेदारी का उपयोग नही कर पा रही है । शान्ति, शान्तिदेवी, सन्तो तीनों ही वादिया के ही है जिनमे सही नाम शान्ति पत्नी कृष्णकुमार है। सन्तो व शान्तिदेवी वादिया ही के ही नाम है जिनमे सही नाम शान्ति पत्नीकृष्णकुमार है ।
स्थिति मे वादिया न्यायालय से यह घोषणा करवाने की कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि क 1 बारानी तहसील भादरा के खाता संख्या 125/110 की जो 0.316 हैक्टेयर नहरी तेदारी है उसमे शान्तिदेवी पत्नी कृष्णचन्द की बजाय वादिया का नाम शान्ति पत्नी कृ कुमार है तथा इसके अलावा चक 1 बारानी की खाता संख्या 135/115 की 2.467 हैक्टेयर हरी खातेदारी मे वादिया का नाम सन्तो पत्नी काशीराम की बजाय शान्ति पत्नी है। बाद किये जाने घोषणा जमाबन्दी हाल मे सन्तो पत्नी काशीराम कृष्णकुमार व शान्तिदेवी पत्नी कृ णचन्द नाम कलमजान किया जाकर उक्त दोनों खातों मे वादिया का नाम शान्ति पत्नीकृ णकुमार दर्ज करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी को दुरूस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा है।
वादीया ने प्रतिवादी तहसीलदार भादरा को आज से तीन माह पूर्व वादिया के उक्त दोनों खातों मे नाम दुरूस्त करवाने एंव रिकॉर्ड मे वादिया का सही नाम दर्ज करवाने के लिये कहा तो गत सप्ताह तहसीलदार भादरा ने न्यायालयहाजा मे चाराजोई करने का कहा जिस पर वादिया न्यायालय मे दावा लेकर आई है। बस यही बिनाय दावा है।

वादीया का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि वादभूमि रोही मोजा चक 1 बारानी तहसील भादरा खाता संख्या 135/115 के मुरबानम्बर 79 के किला नम्बर 5, 6, 15, मुरबानम्बर 80 के किला नम्बर 1,2,9 ता 12, 19/1 की कुल 2.467 हैक्टेयर नहरी खातेदारी मे वादिया का नाम सन्तो पत्नी काशीराम की बजाय शान्ति पत्नी कृष्णकुमार है व चक 1 बारानी तहसील भादरा के खाता संख्या 125/110 के मुरबानम्बर 80 के किला नम्बर 80 19/2 व 22 की 0.316 हैक्टेयर में वादिया शान्तिदेवी पत्नी कृष्णचन्द्र की बजाय वादिया का नाम शान्ति पत्नी कृष्णकुमार है। बाद किये जाने घोषणा जमाबन्दी हाल मे वादिया का नाम दुरूस्त करवाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग.) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय दिलाना चाहे दिलाया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजपैरोकार द्वारा रिपोर्ट मय पटवार हल्का नेठराना–बी व पटवार हल्का बरवाली प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रोही मोजा चक 1 बारानी तहसील भादरा खाता संख्या 135/115 के मुरबानम्बर 79 के किला नम्बर 5, 6, 15, मुरबानम्बर 80 के किला नम्बर 1,2,9 ता 12, 19/1 की कुल 2.467 हैक्टेयर नहरी खातेदारी मे वादिया का नाम सन्तो पत्नी काशीराम की बजाय शान्ति पत्नी कृष्णकुमार है व चक 1 बारानी तहसील भादरा के खाता संख्या 125/110 के मुरबानम्बर 80 के किला नम्बर 80 19/2 व 22 की 0.316 हैक्टेयर में वादिया शान्तिदेवी पत्नी कृष्णचन्द्र की बजाय वादिया का नाम शान्ति पत्नी कृष्णकुमार दर्ज किया जावे।वादी का वाद मात्र नाम दुरूस्ती का है, वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी [illegible] अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व वादी द्वारा दस्तावेजात आधारकार्ड, पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत बरवाली रिपोर्ट, वोटर लिस्ट सन 1971 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो प्रदर्श करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:25:46 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई।दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी वादीयाके नाम से दर्ज है, जिसमें राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई

...कारी (राजस्व)
जिला-हनुमानगढ़

विरोध नही किया गया है।उक्त प्रकरण मे वादीयाके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयो में वादीया का नाम चक 1 बारानी तहसील भादरा खाता संख्या 135/115 में सन्तो पत्नी काशीराम व चक 1 बारानी तहसील भादरा के खाता संख्या 125/110 में वादिया शान्तिदेवी पत्नी कृष्णचन्द्रदर्ज है जबकि वादीया का सही नाम प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के अनुसार शान्ति पत्नी कृष्ण कुमार है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वाद वादीया साबित करने में सफल रही है।वाद वादीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वादी के विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चक 1 बारानी तहसील भादरा खाता संख्या 135/115 में सन्तो पत्नी काशीराम व चक 1 बारानी तहसील भादरा के खाता संख्या 125/110 में वादिया शान्तिदेवी पत्नी कृष्णचन्द्र की जगह वादीया का सही नाम शान्ति पत्नी कृष्ण कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) भादरा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 22/7/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(कलिप्त शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:25:46 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

संख्या :– 017 / 2025

शान्ति पत्नी कृष्णकुमार जाति जाट निवासी वरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— वादीया

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।

——प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट

अभिभाषकगण ::–

1. श्री विनोद पूनियां अधिवक्ता वादी
2. राजपैरोकार प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक :– 22/7/25

वादी की ओर से श्री विनोद पूनियां अधिवक्ता की व पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22/7/25 को कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक 1 बारानी तहसील भादरा खाता संख्या 135 / 115 में सन्तो पत्नी काशीराम व चक 1 बारानी तहसील भादरा के खाता संख्या 125 / 110 में वादिया शान्तिदेवी पत्नी कृष्णचन्द्र की जगह वादीया का सही नाम शान्ति पत्नी कृष्ण कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) भादरा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। यह आज दिनांक 22/7/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुहर से जारी हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:25:46 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (हनुमानगढ़)

नोहर